

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन,
ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 12 अप्रैल, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में वर्ष 1987 और वर्ष 1992 के आधार पर औद्योगिक महंगाई भत्ता वेतनमान अपनाने वाले निदेशक मण्डल स्तर के/निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को महंगाई भत्ते का भुगतान संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 19.07.1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(50)/86-डीपीई (मजूरी कक्ष) के पैरा 4 का उल्लेख करने का निदेश हुआ है, जिसमें निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालकों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुबन्ध-III में वर्णित महंगाई भत्ता योजना के अनुसार त्रैमासिक औसत सूचकांक 1099 (1960=100) से अधिक मूल्यवृद्धि के आधार पर महंगाई भत्ते की किश्तें प्रति वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर से देय हो जाती हैं।

2. इस विभाग के दिनांक 28.01.2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में वर्ष 1992 का आईडीए पैटर्न वेतनमान अपनाने वाले निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरों को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:-

जिस तारीख से देय है :

01.04.2022

दिसम्बर, 2021 से फरवरी 2022 की तिमाही के लिए औसत एआईसीपीआई (1960=100) 8228 है। प्रतिशत में लिंक प्वाइंट पर वृद्धि $[(8228-1099) / 1099 * 100]$ 648.7% है। विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए 01.04.2022 से प्रभावी महंगाई भत्ता दरें।

विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए डीए दरें

मूल वेतन प्रतिमाह	महंगाई भत्ते की दर
3500 रुपए तक	वेतन का 648.7% परन्तु न्यूनतम 14258/- रुपए
3500 रुपए से अधिक तथा 6500 रुपए तक	वेतन का 486.5% परन्तु न्यूनतम 22705/- रुपए
6500 रुपए से अधिक तथा 9500 रुपए तक	वेतन का 389.2% परन्तु न्यूनतम 31623/- रुपए
9500 रुपए से अधिक	वेतन का 324.4% परन्तु न्यूनतम 36974/- रुपए

3. मंहगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए तथा 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए ।

4. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में वर्ष 1987 का आईडीए पैटर्न वेतनमान अपनाने वाले निदेशक मण्डल स्तर के तथा इस स्तर से नीचे के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को दिनांक 01.04.2022 से देय औद्योगिक मंहगाई भत्ते की राशि पुरानी प्रणाली के निष्प्रभावन के अनुसार 2.00 रुपए प्रति अंक की वृद्धि की दर से 37 अंकों की वृद्धि के लिए 74/- रुपए तथा एआईसीपीआई 8228 पर 15045.75 रुपए मंहगाई भत्ता देय होगा।

5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी आगे होने वाली कार्रवाई को आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सीपीएसईज के ध्यान में लाएं ।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

25/4/21
(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालक ।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार ।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय जापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

25/4/21
(समसुल हक)
अवर सचिव